न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या – 32/2015
किस्म मुकदमा – प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्रीमति सीतादेवी पत्नि रामपाल बल्दवा, निवासी भदादा बाग के सामने, भीलवाड़ा
	––प्रार्थी			––विपक्षी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 छःलेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अतिरिक्त भूमि अवाप्ति के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिकर निर्धारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/19	:: **संशोधित आदेश** :: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 A (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 24/11/2012** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 18/12/2012** को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 22/11/2013** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 10/12/2013 एवं दिनांक 11/12/2013** को कराया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (2)** के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम लाम्बियाकलां तहसील बनेड़ा की अवाप्ताधीन आराजी नं0 806 में से रकबा 0.3670 हैक्टयर, आराजी नं0 3257/806 में से रकबा 0.2910 हैक्टयर एवं आराजी नं0 3258/806 में से 0.3670 हैक्टयर कुलिया 1.0250 हैक्टयर भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा अवाड़ दिनांक 05/11/2015 से प्रतिकर राशि 62,42,404– रूपये का निर्धारित किया गया था। नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत दिनांक 01/01/2015 के बाद जारी अवार्ड में पुनः प्रतिकर निर्धारण किया जाना है। अधिनियम, 2013 की धारा 26 की उपधारा (1)(क)(ख)(ग), धारा 26 की उपधारा (2) व (27), धारा 27, धारा 28, धारा 29 की उपधारा (1)(2)(3), धारा 30 की उपधारा (1)(2)(3), में दिये गये प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य, निर्माण संरचनाओं का मूल्य अवधारण करने, मानदण्ड अनुसार कारक निर्धारित कर संगणक निर्धारण करने, शत–प्रतिशत तोषण राशि भुगतान करने, भूमि के प्रतिकर राशि का बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित की जानी हैं। जिससे अवाप्ताधीन भूमि के लिए नवीन अधिनियम के तहत पुनः प्रतिकर का निर्धारण किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रकरण में नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि के पूरक अवार्ड जारी करने एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं। **राजस्व ग्राम लाम्बियाकलां तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा** की अवाप्ताधीन भूमि आराजी नं0 806 में से रकबा 0.3670 हैक्टयर, आराजी नं0 3257/806 में से रकबा 0.2910 हैक्टयर एवं आराजी नं0 3258/806 में से 0.3670 हैक्टयर कुलिया 1.0250 हैक्टयर भूमि के लिए विहित अधिनियम की धारा **3 G (1) (2) (7)** में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता हैं –	

जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

1	आराजी नं0 (ग्राम लाम्बियाकलां, तहसील बनेड़ा)	806, 3257/806, 3258/806
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.3670, 0.2910, 0.3670 हैक्टयर कुलिया 1.0250 हैक्टयर
3	किस्म भूमि	बीड़ बंजड़
4	हितबद्ध खातेदार	श्रीमति सीतादेवी पत्नि रामपाल बल्दवा, निवासी भदादा बाग के सामने, भीलवाड़ा
5	दिनांक 18.12.2012 को **DLC** दर (प्रति बीघा)	14,00,355— रूपये
6	दिनांक 18.12.2012 को **DLC** दर (प्रति वर्गमीटर)	553.65— रूपये
7	**PWD** के अनुसार ग्राम लाम्बियाकलां की शहरी सीमा से स्थित दूरी अनुसार देय कारक	20—30 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र **X** दर)	56,74,912— रूपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 20—30 किमी पर 1.75 गुणा की दर से राशि	99,31,096— रूपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	**Nil**
11	योग **(9+10)**	99,31,096— रूपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं0 11 अंकित राशि का	99,31,096— रूपये
13	दिनांक 18.12.2012 से 05.11.2015 तक कुल 1052 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	19,62,742— रूपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 **(11+12+13)**	2,18,24,934— रूपये
15	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर **(TDS)** कटौती	**Nil**
16	पूर्व में भुगतान की गयीं राशि	62,42,404— रूपये
17	पूर्व में की गयीं आयकर कटौती	**Nil**
18	प्रतिकर की अन्तर राशि **(14-16)**	1,55,82,530— रूपये
19	अन्तर राशि आयकर कटौती **(15-17)**	**Nil**
20	हितबद्व खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	1,55,82,530— रूपये
	अक्षरे — एक करोड़ पच्चपन लाख बियासी हजार पांच तीस रूपये मात्र	

अवाप्त भूमि का पूरक अवाड़ जारी किया जावें। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाड़ अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होगें। अवाड़ की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्व व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में अवाप्त की गई भूमि जो नामान्तरण संख्या 3201 दिनांक 18/01/2018 की पालना में राजस्व जमाबन्दी में दर्ज की गई की हैं, के अवलोकन अनुसार प्राधिकरण में पक्ष में हैक्टयर के मुकाबले बीघा बिस्वा में किये गये इन्द्राज में तफावत हैं। अतः तहसीलदार बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अवाप्त की गई भूमि को बीघा, बिस्वा, बिस्वांशी अनुसार सही गणना कर राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में सही इन्द्राज किया जावें। तहसीलदार हितबद्व व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। **हितबद्ध से भुगतान प्रत्रादि के साथ सही इन्द्राज युक्त जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जावें।** भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फैसल शुमार की जावे।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा